

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक-लेखा/मुख्यालय/अनु सा वा /2019/

दिनांक

- 1 समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
- 2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 3 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय-चिकित्सालयों/कार्यालय के अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/ वाहनो/नकारा सामग्री के निस्तारण/नष्टीकरण एवं अवधिपार दवाईयों के निस्तारण के संबंध में।

सदर्भ-अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के पत्रांक लेखा/मुख्यालय/नकारासामान/वाहन/19/Sp.01दिनांक 30.04.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव सदरभित पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के पत्रांक लेखा/मुख्यालय/नकारासामान/वाहन/19/Sp.01दिनांक 30.04.2019 के द्वारा चिकित्सालयो/कार्यालय के अधिशेष/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/ वाहनो/नकारा सामग्री के निस्तारण/नष्टीकरण एव अवधिपार दवाईयो के निस्तारण संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 31.05.2019 तक पूर्ण करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे।

अत उक्त सदरभित पत्र के सबध मे विहित अवधि तक की गई निस्तारण संबंधी कार्यवाही की सूचना अघोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में प्रेषित करावें।

24

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-लेखा/मुख्यालय/अनु सा वा /2019/ 931-1057 दिनांक 10-6-19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
- 3 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4 प्रभारी भण्डार अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि मुख्यालय परिसर में अवशेष अप्रचलित/अनुपयोगी सामान/वाहनो का अतिशीघ्र निस्तारण कराकर अवगत करावें।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 6 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर